उप्र में नहीं चलेंगी चीनी मिलें

संकट में उद्योग

- **सरकार को नोटिस भेजकर पेराई स्थगित करने की गिनाई वजह**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आर्थिक घाटे से जूझ रहे चीनी उद्योग ने गन्ना राजनीति से प्रेरित उत्तर प्रदेश सरकार के अत्यधिक दबाव से आजिज आकर चालू सीजन में पेराई करने से मना कर दिया है। बजाज हिंदुस्तान, धामपुर, बलरामपुर, सिंभावली, डालमिया, दौराला समेत कुल 65 चीनी मिलों ने सरकार को पेराई स्थगित करने का नोटिस भेज दिया है। पेराई शुरू करने में अपनी असमर्थता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इसके सिवाय उनके पास कोई और विकल्प नहीं है।

मिल मालिक सरकार के एकतरफा फैसले से बेहद खफा है। गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) की घोषणा न होने के बावजूद मिलों से पेराई शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिलों में गन्ना पर्चियां बनाई और बांटी जा रही है। गन्ना फसल के आरक्षण के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन चीनी उद्योग को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करने के बजाय इससे दूर रखा गया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने चार दिन पहले ही राज्य सरकार को अपनी कठिनाइयां गिनाते हुए एसएपी तय करने और मिलों की बिगड़ी वित्तीय हालत का ध्यान रखने वाला पत्र सौंपा था। चीनी उद्योग गन्ना मूल्य निर्धारण में रंगराजन समिति की सिफारिशों को लागू कराने की मांग कर रहा है। सिफारिशों के आधार पर गन्ने का मूल्य चीनी की बाजार कीमत का 75 फीसद होना चाहिए। यानी चालू पेराई सीजन 2013-14 में गन्ने का मूल्य किसी भी हाल में 225 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक नहीं होना चाहिए। घाटा उठा रही चीनी मिलों के लिए इससे अधिक का भुगतान संभव नहीं होगा।

लेकिन गन्ने की राजनीति में फंसी पार्टियां लगातार गन्ने के दाम बढ़ाने की वकालत करती रही हैं। राज्य प्रशासन ने इसके विपरीत अपने अड़ियल रुख पर कायम रहते हुए मिल मालिकों को कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इससे नाराज मिल मालिकों ने पेराई स्थगित करने का फैसला लिया है। हालांकि उन्हें दंडात्मक कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी का भय भी सता रहा है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध चीनी मिलों ने पेराई न करने की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेज दी है।

संबंधित खबरें पृष्ठ >>10

दैनिक जागरण
20/11/13

सरकार ने किया चीनी मिलों को मजबूर

- पेराई शुरू करने की तैयारी से मिलों को अलग रखा गया
- मिलों की सहमति के बगैर काटी जा रही गन्ना पर्चियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चुनावी साल में वोट की राजनीति चीनी मिलों के लिए भारी साबित हो रही है। गन्ने के ज्यादा दाम देने की राजनीतिक दलों में मची होड़ में राज्य में पेराई शुरू करने का फैसला लेने की प्रक्रिया से चीनी उद्योग अलग-थलग पड़ गया। बिना राय मशविरे के गन्ना आरक्षण के फैसले ने चीनी उद्योग को सकते में डाल दिया है। इस मसौदे को अंतिम रूप देकर राज्य सरकार ने वेबसाइट पर भी डाल दिया है।

मिलों की नाराजगी उनकी मुश्किलों को जाने बगैर तयशुदा तारीख तक पेराई शुरू करना वैधानिक बना दिया गया है। आर्थिक संकट से जूझ रही चीनी मिलों के प्रस्तावों को भी राज्य सरकार ने नकार दिया। बिना मूलभूत तैयारी हुए जिला प्रशासन ने गन्ना पर्चियां बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में किसानों और मिलों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इससे कानून व्यवस्था के बिगड़ने की भी आशंका पैदा हो गई है। मिल मालिकों का कहना है कि सरकार की अनदेखी और एकतरफा फैसले में मिलों को किसी भी तरह घाटे में नहीं चलाया जा सकता।

मिलों की आशंका

- 20 और 21 नवंबर के बाद जिला प्रशासन की ओर से गन्ना पर्चियां जारी करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस आधार पर गन्ना किसान चीनी मिलों के गेट पर गन्ने के साथ आ धमकेंगे
- चीनी मिलें पेराई के लिए तैयार नहीं हैं। कानून व्यवस्था मसला गंभीर हो सकता है
- राज्य सरकार कोई कदम उठाने के बजाय मिलों पर सिर्फ दबाव बना रही है
- पेराई शुरू न करने पर मिल मालिकों को गिरफ्तार किया जा सकता है
- दंडात्मक कार्रवाई और अव्यावहारिक आदेश के चलते मिल मालिकों को सख्त फैसला लेने पर बाध्य होना पड़ा
- मिलों को इसके सिवाय और विकल्प नजर नहीं आ रहा था

क्या कह रहे किसान

किसान जागृति मंच के संयोजक सुधीर पंवार का कहना है कि चीनी उद्योग राज्य सरकार को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया गया है। अगर दबाव के चलते सरकार ने उनकी मांगें मान लीं तो किसान हमेशा नुकसान में ही रहेगा और मिलें फायदे में। फार्मूला लागू हुआ तो मिलों को उनके चीनी बनाने का 12 फीसद लागत खर्च और 13 फीसद फायदा मिलता ही रहेगा। चीनी का मूल्य किसान नहीं, बल्कि मिलों का समूह तय करता है।

हाईकोर्ट के स्पष्ट फैसले के बाद भी गन्ना एरियर की वसूली नहीं हो पाई। कानूनी प्रावधानों के बावजूद एरियर पर 15 फीसद ब्याज का भुगतान किसानों को नहीं किया गया। इसके मुकाबले चीनी उद्योग को कई तरह की सहूलियतें पिछले साल ही दी गई। इनमें चीनी उद्योग से लेवी प्रणाली खत्म कर 3,000 करोड़ रुपये का सीधा फायदा दिया गया।

उत्तर प्रदेश में शीरा नीति में परिवर्तन कर मिलों को लाभ पहुंचाया गया। गन्ना खरीद कर में दो रुपये प्रति क्विंटल की रियायत दी गई। मिलों के सह उत्पादन संयंत्र लगाने अथवा विस्तार करने वाली मिलों के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई है।

गन्ने पर राजनीति गरमाने के आसार

जाब्यू, नई दिल्ली : गन्ने की राजनीति भी गरमाने के आसार बढ़ गए है। प्रदेश सरकार को चीनी मिलें न चलाने के मालिकों की नोटिस ने इसे और हवा दे दी है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया व केंद्रीय विमानन मंत्री चौधरी अजित सिंह ने पैदा हुई इस स्थिति के लिए पूरी तरह अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। गन्ना किसानों व चीनी मिलों की दिक्कतों के मसले पर बुधवार को केंद्र सरकार के आला मंत्रियों से मशविरा करने जा रहे है।

गन्ना मूल्य तय किए बिना और पेराई प्रक्रिया के फैसले से खुद को दूर रखने से नाराज मिल मालिकों की प्रदेश सरकार को नोटिस की स्थिति पर अजित ने दैनिक जागरण से कहा, 'इस स्थिति के लिए सिर्फ प्रदेश सरकार दोषी है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि गन्ने का मूल्य तय करने व मिलों को चलाने के लिए वह किसान संगठनों, राजनीतिक दलों व मिल मालिकों से बात करती। कुछ समस्या थी तो केंद्र से भी बात कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के लिए संसद में अंग्रेजी में बोलने पर पाबंदी लगाना व हिंदी को बढ़ावा देना बड़ा मुद्दा है।

दैनिक जागरण
20/11/13